

भाग-3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ,
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दे।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	परियोजना प्रबंधक बीना PMU जल संसाधन विभाग सागर के Online प्रस्ताव FP/MP/IRRIG/33882/2018 में वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर के द्वारा प्रस्ताव के Online Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर बंडा सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु वनमंडल उत्तर सागर के परिक्षेत्र बांदरी एवं उत्तर सागर की आवेदित वनभूमि रकवा 530.85 ha. वनभूमि उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा।

तिथि:- 11/02/2020

स्थान:- सागर

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर